न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

श्री............................ द्वारा आज दि. 12.6.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि - 1767 - III - 14

1. विक्रम कुमार पटेल तनय सुशील कुमार पटेल उम्र, 19 साल
2. श्री सुशील पटेल तनय स्व. श्री रामावतार पटेल उम्र 42 साल

दोनों निवासी ग्राम कुइंयाकला थाना मनगंवा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म. प्र. .... **निगरानीकर्तागण / आवेदकगण**

बनाम्

1. श्रीमती ऊषा पटेल बेवा पत्नी स्व. जयन्ती पटेल
2. गुरूप्रशन्न पटेल तनय स्व. रामावतार पटेल
3. देवेन्द्र पटेल तनय स्व. जयन्ती पटेल
4. वीरेन्द्र पटेल तनय स्व. जयन्ती पटेल
5. बेवा गेंदाबाई विधवा पत्नी स्व. रामावतार पटेल

सभी निवासी ग्राम कुइंयाकला थाना मनगंवा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म. प्र.

6. शासन म. प्र. .... **गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री प्रदीप खरे आयुक्त रीवा संभाग रीवा, दिनांक 02.06.2014 म. प्र. जरिए द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 42 / अपील / 12–13 में संलग्न प्रकरण अनुभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान प्रकरण क्र. 30 अ 6 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2013, निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50(1) म. प्र. भू. रा. संहिता वर्ष 1959

मान्यवर,

निगरानी याचिका के आधार निम्नलिखित हैं:–

1. यहकि अदालत मातहत का आदेश खिलाफ विधि प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।

R 1767-III/14 जिला सीधी

29.7.15	आवेदक विक्रम कुमार, सुशील कुमार के साथ उनके अभिभाषक श्री- आर. एम. सेंगर उपस्थित। अनावेदक वीरेन्द्र पटेल, देवेन्द्र पटेल के साथ उनके अभिभाषक श्री एम. के. श्रीवास्तव उपस्थित। उभय पक्ष की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 के अधीन राजीनामा आवेदन पत्र, शपथ पत्र सहित पेश किया। दोनों पक्षों द्वारा सहमति से प्रकरण आगे संचालित न कर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया। आवेदकों एवं अनावेदकों के बीच हुये राजीनामे एवं मौखिक अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	VIKRAM Patel